राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर – 302015

टेलीफोन नं. 0141–2706830, 2706032 फेक्स नं. 0141–2707679,ई–मेलः–rajscoutguide@yahoo.com

क्रमांकः प. ( )रा.मु./2017–18/ 4164 दिनांकः – 06.09.2017

सर्कल ओर्गेनाइजर (स्काउट/गाइड)
जिला मुख्यालय, समस्त।

अति आवश्यक

विषय :– निजी विद्यालयों में स्काउटिंग/गाइडिंग के विकास एवं विस्तार हेतु।

विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय स्टेट चीफ कमिश्नर महोदय के निर्देशानुसार निजी विद्यालयों में स्काउटिंग/गाइडिंग के विकास एवं विस्तार हेतु निम्नानुसार सामग्री आपको भिजवाई जा रही है :–

(अ) प्रति जिला मुख्यालय

1. हिन्दी ब्रोसर – 100
2. अंग्रेजी बुकलेट – 100

(ब) प्रति मण्डल मुख्यालय

1. हिन्दी ब्रोसर – 100
2. अंग्रेजी बुकलेट – 100

आपको सत्र 2017–18 के लिए प्रति ओर्गेनाइजर 50 निजी विद्यालयों में स्काउटिंग/गाइडिंग प्रारम्भ करने का लक्ष्य दिया जा रहा है। जिसे 31 दिसम्बर, 2017 तक पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

इस संबंध में निम्नाकिंत प्रक्रिया अपनाई जा सकती है :–

1. अपने जिले के सचिव, सयुक्त सचिव, ट्रेनिंग काउन्सलर्स, ट्रेनर्स के साथ विचार विमर्श कर इसकी कार्य योजना तैयार की जावे।
2. कार्य योजना अनुसार जिले के निजी विद्यालयों से सम्पर्क किया जाकर उन्हें स्काउटिंग/गाइडिंग से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जावे।
3. इसके बाद विद्यालय में ग्रुप गठन की निम्न प्रक्रिया अपनाई जावे :–
   पंजीकरण फार्म भरवाना, स्काउट्स/गाइड्स की सूची प्राप्त करना, स्काउटर/गाइडर का नाम प्राप्त करना, उन्हें बेसिक प्रशिक्षण हेतु तैयार करना, स्काउटिंग/गाइडिंग की विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी देना, पंजीकरण शुल्क प्राप्त करना, (32+1=33x30 =990+10 पंजीकरण शुल्क 1000/–) प्रति ग्रुप।
4. जिला/मण्डल स्तर पर बेसिक कोर्स का आयोजन कराना।

5. स्काउट्स / गाइड्स के लिए विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित कराना :–
   - प्रतियोगिता – भाषण, निबन्ध, चित्रकला, पेन्टिग आदि।
   - विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन।
   - भ्रमण–पैदल / साईकिल
   - साहसिक गतिविधियों का आयोजन।
   - अन्तर जिला / मण्डल सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन।
   - सास्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।
   - दर्शनीय स्थलों का भ्रमण।
   - एक रात्रि शिविर का आयोजन।
   - राज्य से बाहर की गतिविधियों में सहभागिता कराना।
6. प्रति माह कम से कम एक गतिविधि का अनिवार्य रूप से आयोजन करना।
7. समाचार पत्रों, न्यूज चैनल आदि में न्यूज एवं फोटो का प्रकाशन।

आप द्वारा इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही / गतिविधियों / उपलब्धियों की मासिक रिपोर्ट प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्यतः अपने मण्डल मुख्यालय को भिजवाकर एक प्रति सीधें राज्य मुख्यालय भिजवाऐं।

भवदीय,

राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट)

क्रमांकः प. ( )रा.मु. / 2017–18 / 4165–72 **दिनांकः – 06.09.2017**

प्रतिलिपि :– आवश्यक सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय स्टेट चीफ कमिश्नर महोदय, जयपुर।
2. राज्य मुख्यालय के सम्मानित पदाधिकारीगण।
3. श्रीमान मण्डल मुख्यायुक्त महोदय, मण्डल मुख्यालय, समस्त।
4. मण्डल सचिव महोदय, मण्डल मुख्यालय, समस्त।
5. सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड) समस्त को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार अनुपालना सुनिश्चित करते हुऐ प्रगति से राज्य मुख्यालय को अवगत करावें।
6. सहायक प्रोग्रामर, राज्य मुख्यालय, जयपुर बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर (स्काउट / गाइड) स्थानीय संघ, समस्त।
8. सचिव, स्थानीय संघ, समस्त

राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट)